

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2) 18/30(13) 2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदल्ल संस्कृति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	बर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजबीर सिंह स०क०अ०, वर्ग-१ (विकास शाखा)	कृषि निदेशालय, देहरादून	केन्द्राध्यक्ष, राज्यमन्त्री प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी	जनहित

श्री राजबीर सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आविटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

टॉ.

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1668 /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10/06/18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री राजबीर सिंह, वर्ग-१ कृषि निदेशालय।
- 2- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना अनुभाग) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 3- सम्बन्धित मुख्य /वरिष्ठ /कोषाधिकारी।
- 4- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 5- केन्द्राध्यक्ष, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

१
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजकुमार सिंह कटारिया स०क०अ०,वर्ग-१ (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की	मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी	जनहित

श्री राजकुमार सिंह कटारिया, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कटारिया का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विष्णों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धानुसार अपने स्तर से दुर्गम इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टृण-

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/१६६९ /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक/० -०६१८

प्रतिलिपि— निम्नानुकूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री राजकुमार सिंह कटारिया, वर्ग-१ द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राजकुमार कटारिया को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी/हरिद्वार।
- 5— अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बुद्ध कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	डा० अनिल कुमार शुक्ला स०क०अ० वर्ग—१ (विकास शाखा)	कृषि निदेशालय, देहरादून	केन्द्राध्यक्ष, राजभू०सं०प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी	जनहित

डा० अनिल कुमार शुक्ला, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—१ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री शुक्ला का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

ट०-

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1670 /स्था०अनु०—१/वर्ग—१/स्थानान्तरण/2018—19/दिनांक/०—०६—१८

प्रतिलिपि— निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— डा० अनिल कुमार शुक्ला, वर्ग—१ कृषि निदेशालय।
- 2— मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना अनुभाग) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 5— केन्द्राध्यक्ष, राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी।
- 6— संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 7— अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 8— गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियाँ के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्रशेखर जोशी स०कृ०अ०, वर्ग—१ (विकास शाखा)	मु०कृ०अ० नैनीताल	मु०कृ०अ० चम्पावत	जनहित

श्री चन्द्रशेखर जोशी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—१ को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जोशी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार अपने स्तर से इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टू४।-

(डॉ अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६७१ /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक १०-०६-१८

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री चन्द्रशेखर जोशी, वर्ग—१ द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जोशी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत।
- 4— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या—12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या—01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या—140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ऋषिपाल सिंह स०कृ०अ०, वर्ग—१ (विकास शाखा)	कृ०एवं भू०सं०अ० धारी	मु०कृ०अ० पिथौरागढ़	जनहित

श्री ऋषिपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग—1 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव छलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ सिंगल विण्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धानुसार अपने स्तर से इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टै.।

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1672 /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक ००-०६-१८

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री ऋषिपाल सिंह वर्ग—1 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी।
- 2— कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धारी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक कुमायूँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।
- 6— गार्ड पत्रावली।

१०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिनांकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 से प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सुभाष चन्द्र यादव स०क००३०, वर्ग-१ (विकास शाखा)	क०एवं भ०स०अधि० लूदपुर	क०एवं भ०स०अ० भिकियासैण	जनहित

श्री सुभाष चन्द्र यादव सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री यादव का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोड़ा सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैण के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

ट०/-

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १६७३ / स्था०अनु०-१/ वर्ग-१/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक १०-०६-१८

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सुभाष चन्द्र यादव वर्ग-१ द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री यादव को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 5- संयुक्त कृषि निदेशक कुमार्यू मण्डल हलद्वानी नैनीताल।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१
(उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018
नं०। उप्र०, प्राच्छिन्, न्यूलग्गण्ड, लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक
बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनक नाम के सम्बुद्ध फालन-७-जान०॥
कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री शेर सिंह स०क०३०, वर्ग-१ (विकास शाखा)	कृ०ए०८० भ०८०३०३० हरिद्वार	मु०क०३० पौड़ी	जनहित

श्री शेर सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धानुसार अपने स्तर से दुर्गम इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

ट०-

(जा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६७४ / स्था०अनु०-१/ वर्ग-१/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक १०-६-१८

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री शेर सिंह वर्ग-१ द्वारा कृ०ए०८० भ०८०३०३० हरिद्वार।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार/पौड़ी।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 में गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के समुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जगदीश लाल टम्टा स्थानान्तरण वर्ग-1 (विकास शाखा)	अपर कृषि निदेशक पौड़ी	कृषि भूमि संसाधन कोटद्वारा	जनहित

श्री जगदीश लाल टम्टा, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री टम्टा का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव उल्लंघन किये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी सिंगल विण्डो व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

टॉ-

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1675 /स्थानान्तरण/वर्ग-1/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-6-18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री जगदीश लाल टम्टा वर्ग-1 द्वारा अपर कृषि निदेशक पौड़ी गढ़वाल।
- 2- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी को इस आशय से कि वे अधिनियमानुसार श्री टम्टा को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
- 6- गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 /XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 /XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री ज्ञानवीर लाल स०कृ०अ०, वर्ग-1 (विकास शास्त्री)	कृ०एवं भू०सं०अ०गोपेश्वर	कृ०एवं भू०सं०अ० कर्णप्रयाग	जनहित

श्री ज्ञानवीर लाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री लाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी चमोली सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

टॉप-

(ज्ञानवीर कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 1676 /स्था०अनु०-1/ वर्ग-1/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक 10-6-18

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री ज्ञानवीर लाल वर्ग-1 द्वारा कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री ज्ञानवीर लाल को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की फैसलाएं जापाठा-2018 के अन्तर्गत राजनीति के आलाएँ एवं निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री हरेन्द्र कुमार स०क०३०, वर्ग-१ (विकास शाखा)	क००एवं भ००स०३० सतपुली	मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर	जनहित

श्री हरेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डबाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल सिंगल विप्डों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार अपने स्तर से सुगम इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

टृ०-

(डा० अजय कुमार बर्मी)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १६७७ /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक १०-४-१८

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री हरेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-१ द्वारा कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, सतपुली।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सतपुली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृषि अधिकारी पौडी/टिहरी गढ़वाल।
- 5- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौडी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्रमिक संख्या	कार्यक्रम का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज सिंह गुप्ताई संकास शाखा)	कृष्णप्रयाग भू०सं०३० एवं कृष्णप्रयाग	कृष्ण निदेशालय, देहरादून	जनहित

श्री मनोज सिंह गुसाई, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नदीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गुसाई का नियम 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

四

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

प्रांक- क०नि०/ 1678 /स्थानु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-6-18

प्रतिनिधि - विस्तृत को सद्यनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री मनोज सिंह गुसाई, वर्ग-1 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग।
 - 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री गुंसाई को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 - 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
 - 4- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून।
 - 5- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
 - 6- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण), कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।
 - 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 8- गाई पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
 (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
 कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
 देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2) 18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश कुमार स०क०३०, वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृ०एवं भू०सं०३० बागेश्वर	कृ०एवं भू०सं०३० रुडकी	जनहित

श्री दिनेश कुमार, वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

४७

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड **देहरादून।**

पत्रांक:- कृ०नि०/ १६७९ / स्था०अनु०-१/ वर्ग-१/ स्थानान्तरण/ 2018-19/ दिनांक 10-६-१८

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री दिनेश कुमार, वर्ग-1 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कुमार को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुडकी।
- 4- सम्बित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर/हरिद्वार।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक कुमॉड एप्डल हल्द्वानी।
- 7- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल एप्डल पौड़ी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

०
उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकारों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 में निहित प्राविधिकारों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री धनराम आर्य संख्या-030, वर्ग-1 (विकास शाखा)	कृष्ण भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	मुख्य कृष्ण अधिकारी नैनीताल	जनहित

श्री धनराम आर्य, वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री आर्य का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृष्ण अधिकारी नैनीताल सिंगल विष्टों व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकता एवं उपलब्धतानुसार अपने स्तर से सुगम इकाई/कार्यालय में तैनाती करना सुनिश्चित करें।

४८/—

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृष्ण निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृष्ण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृष्ण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/१६८० /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक १०-६-८

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री धनराम आर्य, वर्ग-1 द्वारा कृष्ण एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर।
- 2- कृष्ण एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री आर्य को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4- मुख्य कृष्ण अधिकारी बागेश्वर/नैनीताल।
- 5- संयुक्त कृष्ण निदेशक कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी।
- 6- गार्ड पत्रावली।

४८/
उप कृष्ण निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृष्ण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12 / XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30 / XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140 / XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधिकों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में निजी अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राजकुमार स०क०३०, वर्ग-१ (विकास शाखा)	क००एवं भ००सं०अधि० भिकियासैंण	क००एवं भ००सं०अ० हरिद्वार	निजी अनुरोध

श्री राजकुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री राजकुमार का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव ड़लवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत सम्बन्धित कार्मिक को अपने स्तर से कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार के अधीन योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

८४

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ १६८) /स्था०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक १०-६७८

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री राजकुमार , वर्ग-1 द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी,भिकियासैंण।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी भिकियासैंण को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री आर्य को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी हरिद्वार।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी अल्पोडा/हरिद्वार।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक कुमौर मण्डल हल्द्वानी।
- 7- अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौडी।
- 8- गार्ड पत्रावली।

१०

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018), कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2)18/30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2) 18/30(13) 2018 दिनांक 25 मई, 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की 18/30(13) 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री किरनपाल सिंह स०क००३०, वर्ग-१(रसायन शाखा)	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	राजकीय कौटूम्ब युग्म नियंत्रण प्रयोगशाला निदेशालय परिसर देहरादून	जनहित

श्री किरनपाल सिंह, वर्ग-१ को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मेरा

(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- क०नि०/ 1682 /स्थ०अनु०-१/वर्ग-१/स्थानान्तरण/2018-19/दिनांक 10-6-18

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— श्री किरनपाल सिंह वर्ग-१ द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2— मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सिंह को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 4— मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 5— संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन एवं अनुश्रवण) कृषि निदेशालय देहरादून।
- 6— वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी देहरादून।
- 7— आपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौड़ी।
- 8— गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।